पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल से मिले मुख्य निर्वाचन अधिकारी
नयी विधान सभा के गठन की अधिसूचना जारी
राज्यपाल ने मांगी सर्वोच्च मतदान वाले 10 केन्द्रों की सूची

लखनऊः 14 मार्च, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री टी0 वेंकटेश ने भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 के सम्पन्न हो जाने के बाद 14 मार्च, 2017 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की नई विधान सभा के गठन की अधिसूचना तथा समस्त 403 नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची प्रस्तुत की। आयोग के निर्देशानुसार नई विधान सभा के गठन की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त लागू आदर्श आचार संहिता का प्राविधान समाप्त हो जाता है। ज्ञातव्य है कि नवनिर्वाचित विधान सभा सदस्यों की सूची प्राप्त होने के बाद संविधान के अंतर्गत राज्यपाल नई सरकार के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हैं।

राज्यपाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखकर शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिये बधाई दी है तथा अपेक्षा कि है कि विधान सभा चुनाव 2017 में शीर्ष 10 केन्द्रों, जिनमें सर्वोच्च मतदान का प्रतिशत रहा है, की सूची प्रेषित की जाये। सूची में मतदान केन्द्र, जनपद, पीठासीन अधिकारी, मतदान प्रतिशत तथा विजेता प्रत्याशी से संबंधित जानकारी का उल्लेख दिया जाये। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने विभिन्न अवसरों पर अपने वक्तव्यों में अधिकाधिक मतदान करने हेतु जनता से आहवान किया था। साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा था कि सर्वोच्च मतदान वाले केन्द्रों को राजभवन में प्रोत्साहित किया जायेगा।

इस अवसर पर राज्यपाल की प्रमुख सचिव सुश्री जूथिका पाटणकर, वरिष्ठ प्रधान सचिव भारत निर्वाचन आयोग श्री आर0के0 श्रीवास्तव, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनिल गर्ग, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री रमेश राय भी उपस्थित थे।

अंजुम/ललित/राजभवन (90/20)